न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 05 / 25 दायरा दिनांक 15.07.2025

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–गोर्धन पुत्र इमरतलाल उम्र 66 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा हाल समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2–विधाबाई पत्नि गोर्धन उम्र 66 वर्ष जाति किराड निवासी महोदरा हाल समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक– 04.08.2025

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम ढिकवानी पटवार हल्का ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान में आराजी ख0नं0 662 / 4 रकबा 1.16 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी दिनांक 30.05.2003 को विधिवत प्रार्थीगण के नाम आवंटन की जाकर दखल तथा कब्जा दिया गया गया है और आवंटन शर्तों की पालना के अनुक्रम में नामा0 नं0 1088 से गैरखातेदारी तथा नामा0 नं0 1495 से खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जा चुके है और उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम खाता दर्ज है। गैरखातेदारी नामा0 नं0 1088 का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2063–66 में करते समय प्रार्थी क्रम 2 के पति का नाम गोर्धन के स्थान पर इमरतलाल गलत दर्ज कर दिया गया है, जबकि गैरखातेदारी नामा0 नं0 1088 में प्रार्थी क्रम 2 के पति का नाम गोर्धन सही दर्ज है, इमरतलाल प्रार्थी क्रम 2 के पति न होकर ससुर हैं। मजे की बात यह है कि खातेदारी नामा0 नं0 1495 में भी प्रार्थीक्रम 2 के पति का नाम सही दर्ज किया गया है। इस कारण प्रार्थीक्रम 2 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अपने पति का नाम इमरतलाल के स्थान पर गोर्धन दर्ज कराने की अधिकारी है। इस बावत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। प्रार्थीगण को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम ढिकवानी सम्वत 2071–74 में विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीक्रम के पति का नाम गोर्धन है, जिसे इमरतलाल गलत दर्ज कर दिया है, जबकि इमरतलाल प्रार्थीक्रम 2 के ससुर हैं। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:12 IST
Reason: SelfAttested

नकल गैरखातेदारी नामा0नं0 1088 तथा नकल खातेदारी नामा0 नं0 1495 में प्रार्थीक्रम 2 के पति का नाम गोर्धन दर्ज है, इसके अलावा प्रार्थीक्रम 2 के आधारकार्ड से भी प्रमाणित है कि प्रार्थीक्रम 2 के पति का नाम गोर्धन है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी ख0सं0 662/4 रकबा 1.16 बीघा ग्राम ढिकवानी तहसील शाहावाद खाते में प्रार्थीक्रम 2 विधाबाई के पति का नाम इमरतलाल के स्थान पर गोर्धन दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

04.08.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:12 IST
Reason: SelfAttested